(GI–8)

DATE: 08.02.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

DIVISION A

Answer 1:

(1) Ans. a
(2) Ans. c
(3) Ans. d
(4) Ans. b
(5) Ans. d
(6) Ans. d
(7) Ans. d
(8) Ans. d
(9) Ans. d
(10) Ans. c
(11) Ans. b
(12) Ans. b

{1 M Each}

(13) Ans. b
(14) Ans. c
(15) Ans. c
(16) Ans. d
(17) Ans. c
(18) Ans. c
(19) Ans. d
(20) Ans. b
(21) Ans. d

{2 M Each}

DIVISION B

Answer 2:

(a) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार सरकारी कंपनियों की दशा में प्रथम अंकेक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के निगमन के 60 दिन के भीतर किया जायेगा, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिनों में कंपनी का निदेशक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, और वह भी यदि नियुक्ति नहीं कर पाता है तो वह सदस्यों को सूचित करेगा, और सदस्य असाधारण साधारण सभा में 60 दिनों के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगें और उसका कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा की समाप्ति तक होगा। **{2 M}**

पश्चात्वर्ती अंकेक्षक की दशा में भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वित्त वर्ष शुरू होने के 180 दिन के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसका अगली वार्षिक साधारण सभा तक कंपनी में कार्यकाल रहेगा । **{2 M}**

(ii) यदि अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ती हो जाती है तो निदेशक मंडल 30 दिन के भीतर उसकी उसकी रिक्ती को भरेगा और नया अंकेक्षक का कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक होगा, परन्तु निदेशक मंडल को 3 महीने के भीतर अर्थात् अंकेक्षक की नियुक्ति की 3 महीने के भीतर सदस्यों की साधारण सभा में उनसे सहमति भी लेनी पड़ेगी। **{2 M}**

Answer:

(b) प्रस्तावना अधिनियम के क्षेत्र, लक्ष्य तथा उद्देश्य को लांग टाइटल की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करती है। प्रस्तावना में किसी संविधि की पृष्ठभूमि, निर्माण का कारण तथा जिस बुराई के उपचार के लिए इसे निर्मित किया गया, उस बुराई का वर्णन हो सकता है।

लांग टाइटल की भॉति किसी संविधि की प्रस्तावना उस अधिनियमन का एक अंग है और विधिसम्मत ढंग से इसके अभिप्राय में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर भी, प्रस्तावना अधिनियम के सामान्य प्रावधान का अधिरोहण नहीं करती है बल्कि यदि संविधि की शब्दावली उसके उचित निर्माण के विरूद्ध संदेह उत्पन्न करती है, जैसे जहॉ शब्द अथवा वाक्यांश के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और संदेह उत्पन्न होता है कि अधिनियम के उद्देश्य में कौन–सा अर्थ उचित होगा, तो उचित निर्माण तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावना का संदर्भ लिया जा सकता है। **{$3^{1/2}$ M}**

संक्षेप में, किसी अधिनियम की प्रस्तावना विधानमण्डल के प्राथमिक उद्देश्य को प्रकटन करती है किन्तु यदि संविधि की भाषा स्पष्ट नहीं है तो केवल निर्माण की सहायता के लिए इसे शामिल किया जा सकता है। फिर भी, यह अधिनियम के प्रावधानों का अधिरोहण नहीं कर सकती है।

किसी प्रॉविजों का सामान्य कार्य अधिनियमन से किसी चीज को छोड़ना अथवा यदि वहॉ प्रॉविजो नहीं है तो अपनी परिधि में अधिनियमन में कथित किसी बात को परिमित करना होता है। प्रॉविजों का प्रभाव उस पूर्ववर्ती अधिनियमन को परिमित करना है जिसे अत्यन्त सामान्य पदों में व्यक्त किया जाता है। सामान्य नियम के रूप में प्रॉविजो किसी अधिनियमन में उसे परिमित करने के लिए संयोजित किया जाता है अथवा उस अधिनियमतन में उपस्थित किसी कथन का कोई अपवाद सृजित करता है : सामान्यतः प्रॉविजों को एक सामान्य नियम के कथन के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाता है। **{$3^{1/2}$ M}**

व्याख्या का यह एक बुनियादी नियम है कि किसी संविधि का कोई विशिष्ट प्रॉविजो केवल उस क्षेत्र तक प्रभावी होता है जिसे मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया जाता है। यह उस प्रमुख प्रावधान के लिए अपवाद निकालता है जिसके लिए इसे प्रॉविजो के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। (राम नारायण सन्स लि. बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, एआईआर 1955 एससी 765)।

Answer:

(c) सामान्य वाक्यांश अधिनियम, 1897 के धारा 3(22) के अनुसार, 'सद्भावना' शब्द का अर्थ अच्छी भावना में किया जाना माना जाएगा जहॉ यह वास्तव में ईमानदारी से किया जाएगा, चाहे वह लापरवाही से हो या न हो। **{$1^{1/2}$ M}**

'अच्छा विश्वास' शब्द को अलग–अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सद्भाव की यह परिभाषा उस अधिनियम पर लागू नहीं होगी, जिसमें 'सद्भाव' शब्द की एक विशेष परिभाषा है और वहॉ दी गई परिभाषा के अनुसार मुझे उस विशेष अधिनियम का पालन करना होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

सामान्य वाक्यांश अधिनियम के अन्तर्गत सद्भाव का प्रश्न एक तथ्य है, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित करना है। इस प्रकार, उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया गया कुछ भी जो गलत नहीं है। यह माना जाता है कि अच्छे विश्वास में किया गया है। **{$1^{1/2}$ M}**

प्रश्न में दी गई समस्या में श्री एक्स ने उचित जॉच के बिना लापरवाही से भी वाई से एक घड़ी खरीदी। इस तरह की खरीद को अच्छे विश्वास में नही कहा जा सकता है क्योंकि यह बिना ध्यान के किया गया या जैसा कि सामान्य विवेक के व्यक्ति के साथ अपेक्षित है। उचित पूछताछ किए बिना लापरवाही से की गई एक ईमानदार खरीद को विश्वास में नहीं कहा जा सकता है ताकि अच्छी उपाधि दी जा सके। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 3:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 19 के अनुसार एक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी में ना तो स्वंय और ना ही अपने नामांकिती के जरिये किसी प्रकार का अंश धारण करेगी। यदि सूत्रधारी कंपनी किसी प्रकार का अंश सहायक कंपनी को आवंटित करती है तो इस तरह का आवंटन और साथ ही साथ हस्तांतरण वैध नहीं माना जायेगा। इस नियम के निम्नलिखित 3 अपवाद हैः– **{$3^{1/2}$ M}**

(a) यदि सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी के मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अंश धारित करती है।

(b) यदि सहायक कंपनी न्यासी के रूप में सूत्रधारी कंपनी के अंश धारित करती है।

(c) यदि सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले से अंश ले रखे हैं परन्तु इस संबंध में उसको किसी प्रकार के मताधिकार नहीं मिलेगें।

उपरोक्त दशा में सूत्रधारी कंपनी के एक अंशधारी ने अपने अंश न्यासी को स्थानांतरित कर दिये है, और सहायक कम्पनी न्यासी के रूप में अंश धारित कर रही है। अर्थात् सहायक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंश न्यासी के रूप में धारित कर रही है। **{$1^{1/2}$ M}**

इसलिये यहां पर कंपनी एस अपनी सूत्रधारी कंपनी एच के अंश धारित कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(b) प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 150 पर आधारित है। इसके अनुसार यदि निक्षेप किराये पर है तो निक्षेपक ज्ञात अथवा अज्ञात, दोनों प्रकार के दोषों के लिए उत्तरदायी है। **{2 M}**

अतः उपर्युक्त प्रावधानों को दिये गये प्रश्न में लागू करने से B, A को चोट लगने के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए दायी है। **{2 M}**

Answer:

(c) (1) सुरक्षित निक्षेपों को आमंत्रित कर रही धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी या कोई पात्र कम्पनी परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित नहीं करेगी जब तक कि कम्पनी निक्षेपों की सुरक्षा सृजन के लिए निक्षेपकर्ताओं के लिए एक या एक से अधिक संरक्षक नियुक्त नहीं कर लेती है।
बशर्ते निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक से उनकी नियुक्ति से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी और एक विवरण परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इस प्रभाव के लिए उचित महत्व के साथ की निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक ने कम्पनी को अपनी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है दिखाई देगा। **{$1^{1/2}$ M}**

(2) कम्पनी को परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र निर्गमित करने के कम–से–कम सात दिन पहले प्रारूप DPT-2 में निक्षेप न्यास विलेख निष्पादित करना होगा। **{1/2 M}**

(3) न्यासिताएँ की सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में मौजूद किसी कम्पनी सहित कोई भी व्यक्ति निक्षेपकर्ताओं के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि प्रस्तावित न्यासि– **{1/2 M}**

(a) कम्पनी या उसकी होल्डिंग सहायक या सहयोगी कम्पनी का निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी है या कम्पनी में निक्षेपकर्ता है,
(b) कम्पनी या इसकी सहायक या इसकी होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी की ऋण है,
(c) कम्पनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध है,
(d) ने निक्षेप या उसकी ब्याज से सुरक्षित प्रमुख ऋणों के संबंध में किसी भी गारंटी प्रबंध में प्रवेश किया है।
(e) उपर्युक्त धारा (a) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित है।
{1/2 M Each Point}

(4) बोर्ड की सभा में मौजूद सभी निर्देशकों की सहमति के अतिरिक्त, परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित होने के बाद और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, निक्षेपकर्ताओं के लिए किसी भी न्यासी को कार्यालय से नहीं निकाला जायेगा।
बशर्ते कि यदि कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों के होने की आवश्यकता है, तो बोर्ड में कम–से–कम एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहेंगे। **{2 M}**

Answer 4:

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अनुसार एकल व्यक्ति कम्पनी के सीमा नियम अन्य व्यक्ति (नामांकिती) के नाम दर्शायेगें, जो अभिदाता के मृत्यु या अनुबन्ध के अक्षमता के मामले में कम्पनी के 1 सदस्य बनेगा।
अन्य व्यक्ति (नामाकिंती) जिसका नाम सीमानियम में है, उसे सम्बन्धित फॉर्म में प्राथमिक रूप से सहमति दी जाएगी और समान रूप से कम्पनी के निगमन के समय सीमानियम और अन्तर्नियम के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार को दिए जाऐंगें।
ऐसे अन्य व्यक्ति (नांमाकिती) अपनी सहमति दिए गए तरीके से हटा सकते है। **{2 M}**

इस प्रकार उपरोक्त कानून के संबंध में श्री किंग, नामांकिती, जिसका नाम सीमानियम में दिया हुआ है, ओ पी सी में नामांकिती के रूप में अपनी सहमति, लिखित नोटीस में एक मात्र सदस्य और एकल व्यक्ति कम्पनी को देकर हटा सकता है।

नामांकिती की रूप में नामांकित होने योग्यता के संबंध में प्रथम के द्वितीय भाग के निम्न उत्तर है :–

(i) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, कोई भी नाबालिग ओ.पी.सी. का सदस्य या नामाकिंती नहीं बनेगा। इसलिए श्री श्याम नाबालिक होने से ओ.पी.सी. के नामांकिती के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं है। **{1 M}**

(ii) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, वही एकल व्यक्ति कम्पनी का नामांकिती या एक मात्र सदस्य होगा। शब्द "भारत में निवासी" से आशय एक व्यक्ति जो तुरन्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए भारत में रहा हो। यहां सुश्रश्री देव की एक भारतीय नागरिक हे तथा भारत में निवासी भी है इसलिये वो ओ पी सी में नामांकित होने के लिये योग्य है। **{2 M}**

(iii) कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर एक से ज्यादा ओ पी सी में सदस्य नहीं हो सकता है और वह एक से ज्यादा ओ पी सी में नामांकित भी नहीं हो सकता है श्री अशोक जो भारतीय निवासी नागरिक है और ओ पी सी में सदस्य है (ओ पी सी में नामांकित नही है) वो नामांकित मनोनीत कर सकते है। **{1 M}**

Answer:

(b) व्याकरणिक व्याख्या और इसक अपवाद : व्याकरणिक व्याख्या खुद को विशेष रूप से कानून की मौखिक अभिव्यक्ति से चिंतित करती है, यह कानून के पत्र से परे नहीं जाती है। सभी सामान्य मामलों में, व्याकरणिक व्याख्या एकमात्र रूप स्वीकार्य है। अदालत कानून के पत्र को संशोधित करने से जोड़ या नहीं ले सकती है। **{2 M}**

यह नियम हालाकि, कुछ अपवादों के अधीन है :

(1) जहां कानून का पत्र अस्पष्टता, असंगति या अपूर्णता के कारण तार्किक रूप से दोषपूर्ण है। अस्पष्टता के दोष के संबंध में, अदालत कानून के पत्र से परे यात्रा करने के लिए एक कर्तव्य के तहत् है ताकि अन्य स्त्रोतों से विधायिका के सच्चे इरादे का निर्धारण किया जा सके। असंगत के कारण वैधानिक अभिव्यक्ति के दोषपूर्ण होने के मामले में, अदालत को कानून की भावना का पता लगाना चाहिए। **{2 M}**

(2) यदि पाठ एक परिणाम की ओर जाता है जो इतना अनुचित है कि यह स्व–स्पष्ट है कि विधायिका का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह क्या कहता है, तो अदालत विधिपूर्वक विधायिका के इरादे का हवाला देकर इस तरह के गतिरोध को हल कर सकती है। **{2 M}**

Answer:

(c) अवधि प्रभार को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(16) में परिभाषित किया गया है, क्योंकि अधिकार किसी कंपनी या उसके उपक्रमों को सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों या एक सुरक्षा के रूप में या एक सुरक्षा और गिरवी के रूप में बताया गया एक ब्याज या ग्रहणाधिकार है। **{$1^{1/2}$ M}**

उल्लंघन के लिए सजा– कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 86 के अनुसार, यदि कोई कंपनी अध्याय VI के तहत् कवर किए गए आरोपों के पंजीकरण के संबंध में कोई चूक करती है, तो 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। **{1 M}**

हर चूक करने वाले अधिकारी को अधिकतम छह महीने की कैद या न्यूनतम पच्चीस हजार और अधिकतम एक लाख, या दोनों के साथ दण्डनीय है। **{1 M}**

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गलत या गलत जानकारी को प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी भी भौतिक जानकारी को दबाता है, जिसे धारा 77 के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक है, तो वह धारा 477 (धोखाधड़ी की सजा) के तहत् कारवाई के लिए उत्तरदायी होगी। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने वकील के रूप में किसी भी व्यक्ति को भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर काम करने के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन सामान्य मुहर **{2 M}**

को उसके अधिकार पत्र पर चिपका दिया जाना चाहिए या प्राधिकरण पत्र पर कंपनी के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या इसे एक निदेशक और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यह अधिकार किसी भी कार्य के लिए सामान्य हो सकता है या यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए हो सकता है।

कंपनी के ओर से और उसकी मुहर के तहत् इस तरह के एक वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक विलेख कंपनी को बाध्य करेगा जैसे कि यह उसके सामान्य मुहर के तहत् बनाया गया था। **{1 M}**

वर्तमान मामले में कंपनी में न तो कोई लिखित अधिकार दिया है और न ही प्राधिकरण पत्र पर सामान्य मुहर चिपकाई है। इसका मतलब है कि श्री पराग कंपनी की ओर से कानूनी तौर पर काम करने के हकदार नहीं है। इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित कार्य कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, कंपनी एक भागीदार के रूप में अपनी देयता से इनकार कर सकती है। **{2 M}**

Answer:

(b) (i) आमतौर पर किसी परन्तुक को किसी अधिनियम की किसी धारा में जोड़ा जाता है या कुछ विशेष धारा में उल्लिखित कुछ अर्हता प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। एक परन्तुक की सामान्यतः सामान्य नियम के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। एक विशेष धारा के लिए एक परन्तु मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद तैयार करता है जिसमें इसे एक परन्तुक के रूप में लागू किया गया है और कोई अन्य प्रावधान नहीं है। (राम नारियन संस लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त एआईआर (1955) एस.सी. 765)। **{3 M}**

(ii) कभी–कभी उस धारा में निहित मुख्य प्रावधानों को समझाने के उद्देश्य के लिए एक अधिनियम के किसी धारा में स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है। यदि मुख्य धारा के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है, तो स्पष्टीकरण मुख्य धारा में सुसंगत और स्पष्ट होने और अस्पष्टता के लिए डाला जाता है। स्पष्टीकरण को सम्मिलित करके कुछ प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है या कुछ चीजें मुख्य प्रावधान से बाहर की जा सकती है। लेकिन इस धारा के दायरे को विस्तारित करने के लिए स्पष्टीकरण का अर्थ नहीं समझना चाहिए। **{3 M}**

Answer:

(c) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा AMC Ltd. के 25% अंशों की होल्डिंग इसे सराकारी कंपनी नहीं बनाती है। इसलिए, इसे एक गैर–सरकारी कंपनी के रूप में माना जाएगा। **{$2^{1/2}$ M}**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत्, कंपनी के सदस्यों द्वारा एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति आमतौर पर कंपनी के सदस्यों के साथ होती है, जिसमें पहले लेखापरीक्षकों के मामले को छोड़कर और आमस्मिक रिक्ति को भरने के कारण नहीं होता है, लेखा परीक्षक जिस स्थिति में लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति निदेशक मण्डल के साथ निहित है। सदस्यों द्वारा नियुक्ति केवल एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से होती है और अधिनियम में कोई अपवाद नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। **{3 M}**

अतः श्री संजय का विवाद समर्थनीय नहीं है। नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैध है। **{1/2 M}**

Answer 6:

(a) कम्पनियों की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत, 2013 में जहाँ किसी भी समय, अंश पूंजी रखने वाली कम्पनी आगे अशों के जारी पर अपनी अभिदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, या तो नकदी के लिए या नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए, इस तरह के अशों को किसी भी व्यक्ति को पेश किया जा सकता है, यदि यह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है और यदि ऐसे अशों की कीमत एक पंजीकृत मूल्य के मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है, अध्याय III के लागू प्रावधान और किसी भी अन्य शर्तो के अनुपालन के अधीन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। **{4 M}**

वर्तमान मामले में, मार्स इंडिया लिमिटेड को अपने ऋण के निपटान में सुनील को अंश आवंटित करने का अधिकार है। इस जारी को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित नकदी के अलावा अन्य जारी पर प्रतिफल करने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। **{1 M}**

इसके अलावा, अशों का मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए, अध्याय III के लागू प्रावधान के अनुपालन और निर्धारित की जा सकने वाली अन्य शर्तो की अधीन होना चाहिए। **{1 M}**

Answer:

(b) **वचन पत्र बनाने की क्षमता, आदि (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 26)**– प्रत्येक व्यक्ति, जिस विधि के अधीन वह अधीन है उसके अनुसार संविदा करने में सक्षम है, वह स्वयं को बाँध सकता है और वचन पत्र, स्वीकृति, अनुमोदन, सुपुर्दगी और वार्ता के निर्माण, विनिमय पत्र या चेक के द्वारा आबद्ध हो सकता है। **{2 M}**

हालांकि, एक नाबालिग इस तरह के उपकरणों को आकर्षित कर सकता है, समर्थन, वितरित और बातचीत कर सकता है ताकि सभी दलों को खुद को छोड़कर बाँध सके। **{1 M}**

प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार, श्री एस. वेंकटेश ने एक नाबालिग, M के पक्ष में एक चेक रेखांकित किया है। M अपने किराए की बकाया राशि पत्र निपटान करने के लिए Mrs. A के पक्ष में चेक एंडोर्स करता है। चेक को तब अपमानित किया गया जब इसे Mrs. A ने धन की अपर्याप्यता के आधार पर बैंक को प्रस्तुत किया। यहाँ इस मामले में M नाबालिग होने के नाते खित का आहरण, समर्थन, परिपालन और परक्रामण कर सकता है ताकि वह अपने सिवाय सभी पक्षों को बाँध सके। इसलिए M उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार Mrs. A श्री एस. वेंकटेश से बकाया राशि एकत्र करने के लिए आगे बढ़ सकती है। **{2 M}**

Answer:

(c) (i) **''शपथ पत्र''** [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(3)], :– "शपथ पत्र" कानून के द्वारा व्यक्ति के मामले में घोषणा और समर्थन को शामिल करेगा जो शपथ ग्रहण की जगह घोषित या समर्थन की अनुमति देगा।

उपरोक्त परिभाषा समावेशी प्रकृति में है। यह बताती है कि शपथ पत्र समर्थन और घोषणाएं शामिल करता है। यह परिभाषा शपथ पत्र को परिभाषित नहीं करती है। यद्यपि, हम यह शब्द सामान्य बोल– चाल में समझ सकते है। शपथ पत्र एक लिखित विवरण है जो शपथ या न्यायालय में सबूत के उपयोग के समर्थन में या किसी अधिकारी के समक्ष पुष्टि करता है। **{3 M}**

(ii) **''सद्भाव पूर्वक''** [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(22)] :– कोई वस्तु "सद्भाव" में की गई मानी जाएगी यदि वह ईमानदारी से की गई है, यद्यपि वह लापरवाही से की गई है या नहीं। स्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण होता है कुछ भी जो परवाह के साथ और ध्यान रख के किया जो दुर्भावपूर्ण ना हो चाहे नगण्य रूप में किया हो पर उसे सद्भावपूर्ण नहीं कया ऐसा नहीं मानेंगे। **{3 M}**